अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदेशांक–वा0क0अधि0/यु0पी0 संशोधन)/ / /2020, लखनऊ:: दिनांक:: जनवरी 22,2020

–:: आदेश ::–

मुख्यालय के पूर्व निर्गत आदेशांक–108/2020 दिनांक 14.01.2020 द्वारा माह मार्च–2020 में मुजफ्फरनगर पीठ में लम्बित दो सदस्यीय वादों के निस्तारण हेतुं दिनांक 11.03.2020 से 13.03.2020 तक युगल पीठ गठित की गयी थी।

सदस्य,वाणिज्य कर अधिकरण,पीठ–मुजफ्फरनगर द्वारा पत्रांक–14/2020 दिनांक 17.01.2020 के माध्यम से यह सूचित किया गया है कि जिला अधिकारी, मुजफ्फरनगर द्वारा दिनांक 11.03.2020 को मुजफ्फरनगर जनपद में स्थानीय अवकाश घोषित कर दिया गया है।

अतः सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ–मुजफ्फरनगर द्वारा प्रेषित पत्र में उल्लिखित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए माह मार्च–2020 के लिए मुजफ्फरनगर में पूर्व गठित युगल पीठ दिनांक 11.03.2020 से 13.03.2020 तक के स्थान पर दिनांक 23.03.2020 से 25.03.2020 तक युगल पीठ गठित की जाती है। युगल पीठ की शेष स्थिति यथावत रहेगी।

तद्नुसार सम्बन्धित अधिकारी को सूचित किया जाये।

ह0–22.1.20

(नीरजा सिंह)
एच0जे0एस0,
अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन–वा0क0अधि0/यु0पी0 संशो0/ 330 /2020, तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ–मुजफ्फरनगर
2–कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3–मुन्सरिम/वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता/विवरण/कम्पयूटर) मुख्यालय।
4–सम्बन्धित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव, द्वारा पीठासीन अधिकारी।

माननीय अध्यक्ष महोदया की आज्ञा से,

निबन्धक,
वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।